

17.03.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से उनके अधिवक्ता के आवश्यक कार्य से दिल्ली जाने के कारण जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु कोई अन्य तिथि नियत किये जाने संबंधी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

आज ही इसी अपराध में आवेदिका/अभियुक्ता पिंकी पत्नी जीतू उर्फ जितेन्द्र का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु नियत है , जिसके अनुसार वर्तमान में आवेदिका/अभियुक्ता पिंकी उक्त प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है। ऐसी स्थिति में यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरर्थक एवं निष्प्रयोज्य हो चुका है।

तदनुसार उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरर्थक एवं निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

(विकास कुमार-1)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP 1910